

क्रमांक ११७/(आ)/ २०२५

दिनांक ०५/०९/२०२५

प्रेषक:-अध्यक्ष,

अधिवक्ता चैम्बर आवंटन समिति
बीकानेर।

प्रेषित:-श्रीमान

अध्यक्ष महोदय,
अभिभाषक संघ, बीकानेर।

विषय:-चेम्बर आवंटन के लिये लॉटरी प्रक्रिया की सूचना
महोदय

जिला न्यायालय बीकानेर परिसर की द्वितीय व तृतीय मंजिल पर स्थित ४८ क्यूबिक चैम्बर अनुज्ञा पर देने के संबंध में पात्र अधिवक्तागण की अंतिम सूची संबंधित अधिवक्तागण को सूचित करने हेतु आपको प्रेषित की जा चुकी है। अंतिम सूची में वर्णित पात्र अधिवक्तागण के संबंध में लॉटरी की प्रक्रिया निम्न प्रकार से रहेगी:-

(१) **लाटरी की प्रक्रिया निम्न विवरण के अनुसार संपन्न की जायेगी ।**

(क)- दिनांक- ०८.०९.२०२५

(ख) समय- ०२ पी एम.

(ग) स्थान- जिला न्यायालय परिसर बीकानेर के भूतल में स्थित
कॉन्फेस हाल ।

(२) **लाटरी की प्रक्रिया के प्रथम चरण** में द्वितीय व तृतीय मंजिल पर स्थित स्थाई पिल्लर युक्त चैम्बर संख्या ०३,०५,१०,१७,२७,३४,४१ **Rules for allotment of Lawyers Chambers in Subordinate Courts of Rajasthan, २०१६** के नियम संख्या -१३ में वर्णित शक्तियों के अन्तर्गत माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर के आदेशानुसार प्रत्येक चैम्बर एक-एक महिला अधिवक्ता के लिये आरक्षित होने के कारण पूर्व में जारी अंतिम सूची में अंकित व निम्न अनुक्रमणिका में वर्णित महिला अधिवक्तागण के मध्य लाटरी प्रक्रिया के आधार पर अनुज्ञा पर दिये जावेंगे:-

क्र. स	आवेदन संख्या	महिला अधिवक्ता का नाम	एनरोलमेंट नंबर	लाटरी संपन्न होने पर अनुज्ञा पर दिये जाने वाले चैम्बर की संख्या
१	८०	डॉ शालिनी व्यास	७८७/२००३	
२.	२२	श्रीमती सुमन कंवर	५३५/२००५	

3.	08	श्रीमती शकीना बानो	300/2006	
4.	21	श्रीमती राजकुमारी पुरोहित	3284/2010	
5.	36	सुश्री तृप्ति पालीवाल	1815/2018	
6.	87	सुश्री भावना	2154/2019	
7.	35	सुश्री अर्चना व्यास	3093/2019	
8.	117	श्रीमती रेखा साध	1424/2019	
9.	85	श्रीमती सुनीता दीक्षित	2888/2020	
10.	37	सुश्री पूजा खत्री	4763/2021	
11.	34	सुश्री गिरिजा पुरोहित	3057/2023	

नोट:-

- (1) उक्त सूचि में वर्णित महिला अधिवक्तागण लाटरी प्रक्रिया में असफल रहने पर असफल महिला अधिवक्ता को अन्य अनारक्षित चैम्बर की लाटरी प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार होगा ।
- (2) उक्त सूचि में वर्णित महिला अधिवक्तागण के पति भी स्थानीय अधिवक्ता होने पर ऐसी महिला अधिवक्ता स्वेच्छिक रूप से उक्त चैम्बर की लाटरी प्रक्रियाओं से पृथक रहने के लिये स्वतंत्र रहेगी। ऐसी महिला अधिवक्ता की उक्त प्रकार की लिखित अभिव्यक्ति के अभाव में लाटरी प्रक्रिया में ऐसी महिला अधिवक्ता के सफल होने की स्थिति में वह अपने पति अधिवक्ता के संबंध में लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होगी।
- (3) उक्त सूचि में वर्णित अन्य महिला अधिवक्ता भी पिल्लर युक्त चैम्बर की लाटरी प्रक्रिया से पृथक रहने के लिये स्वतंत्र रहेगी। इस प्रकार की लिखित अभिव्यक्ति प्राप्त होने पर ऐसी महिला अधिवक्ता को अन्य अनारक्षित चैम्बर की लाटरी प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार होगा।
- (4) किसी भी कारण से पिल्लर युक्त चैम्बर महिला अधिवक्ता के अभाव में रिक्त रहता है तो ऐसे रिक्त चैम्बर को अनारक्षित चैम्बरों की सामान्य लाटरी प्रक्रिया में एकल पुरुष अधिवक्ता को लाटरी प्रक्रियाओं से अनुज्ञा पर दिया जायेगा ।

(3) लाटरी प्रक्रिया के द्वितीय चरण में पूर्व में जारी अंतिम सूची में वर्णित प्रथम बीस वरिष्ठ अधिवक्तागण को सम्मान व प्राथमिकता प्रदान करने के दृष्टिगत **Rules for allotment of Lawyers' Chambers in**

Subordinate Courts of Rajasthan, के नियम संख्या-13 के प्रावधानो में द्वितीय मंजिल पर स्थित चैम्बर संख्या 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13 दो-दो वरिष्ठ अधिवक्तागण के समूह के आधार पर श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश बीकानेर के आदेशानुसार आरक्षित होने के कारण निम्न अनुक्रमणिका मे वर्णित **बीस वरिष्ठ अधिवक्तागण** के दो-दो के समूह के आधार पर उक्त चैम्बर अनुज्ञा पर दिये जायेंगे:-

क्र.सं.	आवेदन क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	एनरोलमेन्ट नम्बर
1	50	श्री हरीश चन्द्र तंवर	674 / 1997
2	114	श्री नरेन्द्र कुमार स्वामी	681 / 1997
3	10	श्री आशु प्रकाश पारीक	1089 / 1998
4	60	श्री केशव खत्री	834 / 1999
5	97	श्री मनोज महात्मा	1397 / 1999
6	81	श्री विष्णु प्रकाश भादाणी	1656 / 1999
7	5	श्री सुरेन्द्र कुमार बड़गुर्जर	257 / 2000
8	3	श्री राजाराम डूडी	1430 / 2000
9	19	श्री उमाशंकर शर्मा	1485 / 2000
10	38	श्री अजय कुमार मारु	1492 / 2000
11	1	श्री रामनारायण सारण	1962 / 2000
12	72	श्री लोकेश कुमार शर्मा	152 / 2001
13	9	श्री मुजफ्फर उस्तां	1605 / 2001
14	84	श्री गणेश कुमार व्यास	2015 / 2001
15	75	श्री लालचंद सुथार	2041 / 2001
16	64	श्री राजेन्द्र भाटी	2406 / 2001
17	130	श्री विजय पाल बिश्नोई	2416 / 2002
18	83	श्री अशोक बोहरा	2666 / 2002
19	110	श्री अजीज अहमद	114 / 2003
20	80	डॉ. शालिनी व्यास	787 / 2003

- (1) द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया में उक्त वर्णित व आरक्षित प्रत्येक चैम्बर के संबंध में दो दो लाटरी की पर्ची निकाली जायेगी तथा प्रथम दो पर्ची जिन वरिष्ठ अधिवक्तागण के पक्ष में निकलेगी उन दो प्रथम अधिवक्तागण को संयुक्त रूप से द्वितीय मंजिल पर स्थित चैम्बर संख्या-01 अनुज्ञा पर दिया जायेगा तथा इसी प्रकार उक्त वर्णित आरक्षित प्रत्येक चैम्बर के संबंध में बीस वरिष्ठ अधिवक्तागण के संबंध में उत्तरोत्तर लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जायेगी।
- (2) वरिष्ठ अधिवक्तागण की उक्त अनुक्रमणिका में क्रम संख्या 20 पर वर्णित अधिवक्ता डॉ शालिनी व्यास हैं । उक्त डॉ शालिनी व्यास द्वारा

पिल्लर युक्त चैम्बर की लाटरी प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तथा वह इस प्रकार की प्रक्रिया में सफल रहती है, तो दोहरा चैम्बर आवंटन स्वीकृत नहीं होने के कारण अंतिम सूची के क्रम संख्या 21 पर अंकित **श्री असरफ अली उस्ता** अधिवक्ता प्रथम बीस वरिष्ठ अधिवक्ता में गणनीय होंगे।

- (3) अंतिम सूची में अंकित प्रथम बीस वरिष्ठ अधिवक्ता में से किसी भी अधिवक्ता द्वारा स्वेच्छिक रूप से लाटरी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने या किसी कारण से अयोग्य हो जाने की स्थिति में प्रथम बीस वरिष्ठ अधिवक्ता के पश्चात आने वाले प्रथम अधिवक्ता प्रथम बीस वरिष्ठ अधिवक्ता में गणनीय होंगे।

(ग) अंतिम सूची के प्रथम बीस वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दो के समूह में अपने स्तर पर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में वरिष्ठ बीस अधिवक्तागण के एनरोलमेंट नंबर व वर्ष के आधार पर चैम्बर प्रस्तावानुसार या क्रमानुसार अनुज्ञा पर दिये जायेंगे।

(घ) उक्त आरक्षित चैम्बर के संबंध में प्रथम बीस वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दो-दो अधिवक्ता के समूह का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आरक्षित चैम्बर के संबंध में प्रथम बीस अधिवक्ता को चैम्बर अनुज्ञा पर दिये जाने के संबंध में लाटरी की प्रक्रिया संपन्न की जायेगी तथा लाटरी की प्रक्रिया में जो अधिवक्तागण चैम्बर की संख्या के अनुसार सफल रहेंगे, उसी अनुरूप दो-दो वरिष्ठ अधिवक्तागण संयुक्तरूप से अनुज्ञा पर प्राप्त चैम्बर में अपना विधि व्यवसाय करेंगे।

(च) अंतिम सूची के प्रथम बीस वरिष्ठ अधिवक्ता में से महिला अधिवक्ता अन्य किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ समूह का प्रस्ताव प्रस्तुत करने, प्रथम बीस वरिष्ठ अधिवक्तागण की सूची में से स्वयं का नाम पृथक करने, अनारक्षित चैम्बर की सामान्य लाटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये स्वतंत्र रहेगी। प्रथम बीस वरिष्ठ अधिवक्ता की सूची में से महिला अधिवक्ता द्वारा अपना नाम पृथक किये जाने की स्थिति में ऐसी महिला अधिवक्ता को केवल अनारक्षित चैम्बर की सामान्य लाटरी प्रक्रिया में भाग लेने का ही अधिकार शेष रहेगा।

- (4) **लाटरी प्रक्रिया के तृतीय चरण** में पिल्लर युक्त चैम्बर के रिक्त रहने, द्वितीय मंजिल पर वरिष्ठ अधिवक्तागण के लिये आरक्षित चैम्बर में से कोई चैम्बर रिक्त रहने की स्थिति में रिक्त चैम्बरों को सम्मिलित करते हुए शेष अनारक्षित चैम्बरों के संबंध में महिला अधिवक्ता के लिये आरक्षित चैम्बर में से जो महिला अधिवक्ता पिल्लर युक्त चैम्बर के लिये सफल हो जाती है- उनका नाम तथा द्वितीय मंजिल पर स्थित

व वरिष्ठ अधिवक्तागण के लिये आरक्षित चैम्बर के संबंध में सफल अधिवक्तागण के नामों को अंतिम सूची से पृथक् करते हुए अंतिम सूची के शेष अधिवक्तागण के लिये शेष समस्त चैम्बर के संबंध में लॉटरी की प्रक्रियाएं संपन्न की जायेगी।

- (5) पुनः उल्लेखित किया जाता है कि चैम्बर संख्या 03, 05, 10, 17, 27, 34, 41 व चैम्बर संख्या 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13 के संबंध में उक्त प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात उक्त चैम्बरों में से रिक्त रहे चैम्बर व अन्य शेष चैम्बरों के संबंध में सामान्य लॉटरी प्रक्रियाएं संपन्न की जायेगी।
- (6) उक्त चैम्बरों में से रिक्त रहे चैम्बर व अन्य शेष चैम्बरों के संबंध में अंतिम सूची के क्रमांक के आधार पर पर्चियां तैयार करते हुए प्रत्येक रिक्त रहे चैम्बर व अन्य शेष चैम्बरों के क्रमांक के आधार पर लॉटरी की प्रक्रियाएं संपन्न की जायेगी। **उदाहरणार्थ** अंतिम सूची के क्रमांक 22 व 55 से संबंधित आवेदक के सफल रहने की स्थिति में दो प्रथम सफल अधिवक्तागण को चैम्बर संख्या 14 अनुज्ञा पर संयुक्त रूप से दिया जायेगा। इसी प्रकार उत्तरोत्तर लॉटरी प्रक्रिया के आधार पर दो दो अधिवक्तागण को एक-एक चैम्बर संयुक्त रूप से अनुज्ञा पर दिया जायेगा।
- (7) प्रथम बीस वरिष्ठ अधिवक्तागण को अनुज्ञा पर आरक्षित चैम्बर व पिल्लर युक्त चैम्बर के अतिरिक्त अनारक्षित चैम्बर के संबंध में लॉटरी की सामान्य प्रक्रियाओं के दौरान यदि स्थानीय पति-पत्नी अधिवक्ता में से कोई एक सफल रहता है तो उक्त उत्तरोत्तर व्यवस्था के अनुसार सफल पति या पत्नी के साथ स्वतः ही असफल पति या पत्नी को चैम्बर संयुक्त रूप से अनुज्ञा पर दे दिया जायेगा।
- (8) चैम्बर अनुज्ञा पर दिये जाने के संबंध में जारी अंतिम सूची में वर्णित आवेदक लॉटरी प्रक्रियाओं के दिन व समय पर लॉटरी प्रक्रियाओं में उपस्थित रहेंगे। यदि अंतिम सूची में वर्णित आवेदक लॉटरी प्रक्रिया में उपस्थित नहीं रहते हैं तो लॉटरी प्रक्रियाओं के संबंध में ऐसे अनुपस्थित आवेदक का किसी प्रकार का आक्षेप स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (9) वरिष्ठ अधिवक्तागण, महिला अधिवक्तागण के लिये आरक्षित चैम्बर व अनारक्षित चैम्बर की लॉटरी प्रक्रियाओं के दौरान अंतिम सूची के क्रमांक के आधार पर लॉटरी हेतु तैयार चैम्बर की पर्ची का अवलोकन लॉटरी प्रक्रियाओं में उपस्थित पात्र आवेदक में से किसी भी आवेदक द्वारा करवाया जाकर व पर्चियों के बारे में निष्पक्ष रूप से आश्वस्त होने के पश्चात पर्चियों को चार भागों में मोड़कर किसी पात्र में रखा जायेगा तथा पात्र में विद्यमान पर्चियों को अच्छी तरह से हिलाकर किसी

तटस्थ व अजनबी व्यक्ति द्वारा पात्र में से पर्चिया निकलवायी जाकर तदनुसार चैम्बर को अनुज्ञा पर दिया जायेगा। चैम्बर की संख्या के अनुसार दो-दो अधिवक्तागण के समूह को एक-एक चैम्बर संयुक्त रूप से अनुज्ञा पर दिया जायेगा। वरिष्ठ अधिवक्तागण व महिला अधिवक्तागण के लिये आरक्षित चैम्बर के अतिरिक्त शेष चैम्बर की लॉटरी प्रक्रिया के **उदाहरणार्थ:-** लॉटरी प्रक्रिया में प्रथम दो पर्ची से संबंधित सफल आवेदकों को आरक्षित चैम्बरों के अतिरिक्त शेष चैम्बरों के क्रमानुसार चैम्बर अनुज्ञा पर दिये जायेंगे।

- (10) वरिष्ठ अधिवक्तागण व महिला अधिवक्तागण के लिये आरक्षित चैम्बर में से रिक्त रहे चैम्बर व अनारक्षित चैम्बर के संबंध में लॉटरी प्रक्रिया के लिये सुविधा व पारदर्शिता की दृष्टि से उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी है। यदि लॉटरी प्रक्रिया के दौरान अन्य किसी व्यवस्था व प्रक्रिया की आवश्यकता होगी तो आवश्यकतानुसार तत्काल व्यवस्था व प्रक्रिया नियत की जायेगी।

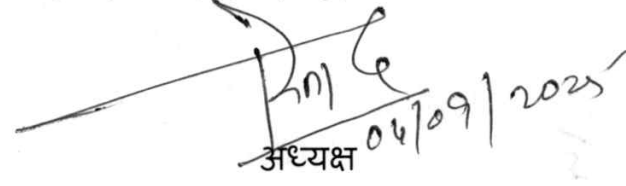
विशेषतः

1- प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण में अंतिम सूची में वर्णित व लाटरी प्रक्रिया में सफल हुए अधिवक्तागण के मध्य वर्तमान व भविष्य में सामंजस्य स्थापित करने के दृष्टिगत व चैम्बर के उपयोग की सार्थकता चरितार्थ करने के लिये द्वितीय व तृतीय मंजिल पर स्थित स्थाई पिल्लर युक्त चैम्बर संख्या 03, 05, 10, 17, 27, 34, 41 के अतिरिक्त दो दो अधिवक्तागण को समूह के रूप में लाटरी प्रक्रिया के पश्चात अनुज्ञा पर दिये जाने वाले चैम्बर के संबंध में सफल अधिवक्तागण परस्पर सहमति व सामंजस्य के आधार पर चैम्बर संख्या व अनुज्ञाधारी के नाम में परिवर्तन करने के लिये अपनी-अपनी लिखित अभिव्यक्ति दिनांक **09.09.2025** को सांय पांच बजे तक प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे। परस्पर सहमति के आधार पर दो दो अधिवक्तागण को अनुज्ञा पर दिये जाने वाले चैम्बर की संख्या व अधिवक्ता के नाम में परिवर्तन करते हुए तदनुसार इस समिति द्वारा अंतिम सूचना विभागाध्यक्ष महोदय को प्रेषित कर दी जायेगी तथा इस प्रकार की अंतिम सूचना के पश्चात इस समिति का कार्य पूर्णतया संपन्न हो जाने के कारण इस समिति स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन व संशोधन ग्राह्य या स्वीकार योग्य नहीं होगा।

2- किसी प्रकार के संदेह (DOUBT) के निराकरण के लिये पात्र अधिवक्ता न्यायिक कार्मिक श्रीमती हिना रामचंदानी मोबाईल नं 805897359 से संपर्क कर संदेह का निराकरण कर सकते है।


सदस्य

(सुश्री वमिता सिंह)


अध्यक्ष 04/09/2025

(विनोद कुमार सोनी)

क्रमांक 121/(न्या)/2025

दिनांक 4/09/2025

प्रतिलिपि:-

- (1) श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बीकानेर को सूचनार्थ सेवार्पित
- (2) श्री विवेक शर्मा अध्यक्ष, अभिभाषक संघ बीकानेर ।
- (3) सुश्री वमिता सिंह सदस्य अधिवक्ता चैम्बर आवंटन समिति,
- (4) सिस्टम ओफिसर जिला न्यायालय बीकानेर।
- (5) रक्षित पत्रावली।